| आवेदन क्रमांक | आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 200.00 |
|---|---|

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

# साँची रेल्वे मिल्क पॉर्लर एजेन्ट नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र 2022–23

शुद्धता का संकल्प


उज्जैन सहकारी दुग्ध संध मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**
मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063
E-mail :- udsmktg7@gmail.com

## साँची रेल्वे मिल्क पार्लर संचालन हेतु एजेन्ट नियुक्ति के लिये तृतीय आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा नीमच रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 02 पर मिल्क पॉर्लर आवंटित कर पॉर्लर से दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु एजेन्ट नियुक्त किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवंटन से संबंधित समान्य शर्तों को रूपये 200/– के नगद भुगतान पर दुग्ध संघ कार्यालय से क्रय कर सकते है अथवा एमपीसीडीएफ की वेबसाईट http://www.sanchidairy.com से दिनांक **01.09.2022** से दिनांक **07.09.2022** तक डाउनलोड़ कर सकते है आवेदन प्रपत्र की राशि रूपये 200/– डी.डी. के माध्यम से जो कि **"उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,"** पेयबल एट उज्जैन के नाम देय हो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक नीमच शहर का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। आवेदन पत्र के साथ रूपये 10000/– (मात्र दस हजार) का डी.डी. **"उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,"** पेयबल एट उज्जैन के नाम बनाकर अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न कर आवेदन–पत्र दिनांक **07.09.2022** तक अपरान्ह **02.00** तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **08.09.2022** को अपरान्ह **3:00** बजे समिति एवं आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल आवेदनकर्ताओं का लॉटरी ड्रा के माध्यम से एजेन्ट का चयन किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन एवं आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

किसी एक या समस्त आवेदन पत्र को सकारण बताते हुए स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
## डेयरी प्लांट मक्सी रोड़, उज्जैन

## रेल्वे मिल्क पॉर्लर संचालन का कार्य आवंटन हेतु तृतीय आवेदन–प्रपत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि एवं स्थान | दिनांक 01.09.2022 समय सुबह 11:00 बजे से उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन |
| 2 | आवेदन प्रपत्र प्राप्त व जमा करने की अंतिम तिथि समय एवं स्थान | 07.09.2022 अपरान्ह 02:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट, मक्सी रोड़, उज्जैन |
| 3 | आवेदन खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 08.09.2022 अपरान्ह 03:00 बजे |
| 4 | आवेदन खोलने का स्थान | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट, मक्सी रोड़, उज्जैन |
| 5 | आवेदन के साथ जमा की जाने वाली राशि | अ– आवेदन मूल्य रू.200/– मूल रसीद या डी.डी. यदि ऑनलाईन क्रय किया हो।<br>ब– आवेदन के साथ अर्नेस्ट मनी 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) का डीडी<br>जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के नाम देय हो |

शुद्धता का संकल्प

# रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन (म.प्र.) – 456010

| स्वयं का प्रमाणित फोटो चिपकाएँ |
|---|

1. अ) नाम : ...............................................................
   ब) पिता/पति का नाम : ...............................................................

2. वर्ग (आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाएं।
   अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐
   अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य वर्ग ☐

3. शैक्षणिक योग्यताः ...............................................................
   *(न्यूनतम शैक्षणिक यौग्यता हायर सेकंडरी पास)*

4. पताः
   अ) स्थाई पता *(आधार कार्ड की छायाप्रति संलंग्न करें)* ...............................................................
   *(दुरभाषा/मोबाईल नम्बर के साथ)*
   ब) पत्र व्यवहार का पताः ...............................................................
   *(दुरभाष/मोबाईल नम्बर के साथ)*

5. स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म क्रमांक जहाँ के लिए आवेदन किया जा रहा है ...............................

6. वर्तमान में परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार के पास साँची रेलवे पार्लर आवंटित है या नहीं ...............................................................

7. वर्तमान व्यवसाय/कार्यः
   – व्यवसाय पिता का या स्वयं का ...............................................
   – व्यवसाय स्थान का पता *(दूरभाष नम्बर)* ...............................................

8. वित्तीय स्थितिः
   – वर्तमान व्यवसाय की लागत ...............................................
   – वर्तमान व्यवसाय की आय ...............................................
   – चल/अचल संपत्ति का विवरण ...............................................
   – मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पुँजी ...............................................

9. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव ...............................................

10. किसी तरह का अपराधिक/न्यायलीन प्रकरण (हाँ/नही) ..................................................

11. (1) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय ....................

(2) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय ....................

*(एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)*

मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित दुग्ध संघ एवं रेलवे/आईआरसीटीसी की समस्त नियम एवं शर्तें पढ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ।

स्थान .............................

दिनांक ............................

आवेदक का नाम ..................................................

हस्ताक्षर :

सांची Sanchi
शुद्धता का संकल्प

**<u>रेलवे मिल्क पॉर्लर एजेन्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज</u>**

1. मूल निवासी का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की छायापति।
2. पेन कार्ड।
3. पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट।
4. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. हायर सैकेण्ड्री मार्केशीट की छायाप्रति।
6. 200 रू. मुल्य का डी.डी. अथवा मूल एमआर।
7. 10,000/– रू. का डी.डी.।
8. 2 जमानदार हेतु दो शपथ–पत्र।
9. दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी/(वर्तमान में कार्यरत) सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता से कोई संबंध नहीं होने का वचन पत्र।
10. एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघो से टर्मीनेट नहीं होने संबंधीत वचन पत्र।

# रेलवे मिल्क पॉर्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें

1. आवेदक जिस शहर के रेलवे स्टेशन हेतु आवेदन कर रहा है, वहीं का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदन के साथ स्वयं प्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन को दो जमानतदार देना अनिवार्य हैं जिसमें से एक सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक है।
4. आवेदन के संबंधित थाने से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट/टिन नंबर/पेन नम्बर संलग्न करना अनिवार्य है।
5. जमानदार जमानत देने पर पर यदि एजेंट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायलयीन कार्यवाही करेगा।
6. आवंटन की दशा में आवेदक को दुग्ध संघ के साथ रू. 1000 के स्टांप पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आईआरसीटीसी/रेलवे के साथ भी एक ट्राईपाटी अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।
7. रेलवे द्वारा मिल्क स्टॉल आवंटन की नीति में परिवर्तन होने या अन्य कारण से जो भी गाईडलाईन जारी की जाती हैं उसका पालन दुग्ध संघ आवेदक/एजेंट को करना होगा।
8. एजेंट का चयन लॉटरी के आधार पर होगा। लॉटरी का ड्रा दुग्ध संघ के द्वारा आवेदकों के समक्ष कराया जाएगा।
9. एजेंट के चयन होने पर रू. 1,00,000 (रू. एक लाख) बतौर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. मिल्क पार्लर का आवंटन एजेंट स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है या दुग्ध संघ द्वारा निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति राशि रिफंड लेने के पूर्व एजेंट को आईआरसीटीसी एवं रेलवे के संबंधित शाखाओं से नो–डियूज (no Dues certifecate) सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा।
11. आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस एजेंट को जमा करनी होगी, वर्तमान में नीमच रेल्वे स्टेशन के प्लेट फार्म क्र. 02 पर स्थित सांची मिल्क पॉर्लर हेतु लायसेंस फीस राशि रू. 72,000/– + जी.एस.टी. अतिरिक्त हैं, जिसे एजेंट को नियुक्ति पश्चात् दुग्ध संघ में अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। वार्षिक लायसेंस फिस में रेल्वे द्वारा जो भी परिवर्तन किये जावेगे, वह एजेन्ट को मान्य करना होगा एवं विद्युत/पानी/डीप–फ्रीजर आदि व्यय एजेंट द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
12. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. रेलवे मिल्क पार्लर से दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थ/रेलवे द्वारा स्वीकृत पैक्ड पेय जल के ही विक्रय करने की अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त एजेंट द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाए जाते हैं तो आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा जो भी एजेंट के विरूद्व कार्यवाही कर जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसका वहन एजेंट को स्वयं करना होगा।
14. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय किया जाना है यदि दुग्ध संघ अथवा आईआरसीटीसी द्वारा एजेंट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दुग्ध पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाने पर दुग्ध संघ अथवा आईआरसीटीसी द्वारा जो भी जुर्माना लगाया जाता है उसका वहन एजेंट को करना है। उक्त कार्य की पुनावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व से रेलवे मिल्क पार्लर आवंटित हो तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

16. यदि कोई ऐसा आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका दुग्ध संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्व कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

17. यदि एजेंट/आवंटी एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु संबंधित दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा एवं उसके द्वारा किया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एंड कौंसिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

18. समस्त विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र वह शहर होगा जहां संबंधित दुग्ध संघ का मुख्यालय होगा।

19. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्स मेन को आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना अनिवार्य हैं।

20. सेल्स मेन को ड्रेस में नेम प्लेट लगा के रखना होगा।

21. आवेदन में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर वह निरस्त कर दिया जाएगा एवं उक्त आवेदन की लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

22. एजेंट को स्वयं के व्यय से रेलवे प्रशासन से खाद्य विभाग का लायसेंस, सेल्स मेन के पुलिस वेरिफिकेशन तथा अन्य संबंधित दस्तावेज बनवाने होंगे।

23. रेल्वे मिल्क पॉर्लर से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थो के अतिरिक्त सांची के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। ऐसा पाया जाने पर कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।

24. आवेदक को रेल्वे द्वारा या एमपीसीडीएफ एवं सम्बद्ध दुग्ध संघ द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य/अनुबंध में अनियमितता के कारण टर्मीनेट या ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो इस बाबत् ओवदक को रूपये 100/– के नॉन ज्यूनिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएगा।

मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा। उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। मेरे द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 24 तक दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कभी भी यह जानकारी असत्य प्रमाणित होती है तो दुग्ध संघ द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे मानने के लिए में बाध्य रहुंगा।

शुद्धता का संकल्प

**आवेदन के हस्ताक्षर**

- **आरक्षण के प्रावधान :**

1. रेल्वे पार्लर आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाती तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार के प्रावधान अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
2. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ जाती प्रमाण पत्र भी स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जाएगा।
3. यदि किसी आरक्षित वर्ग विशेष का कोई आवेदन रेलवे पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य श्रेणी के आवेदकों में से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रेलवे पार्लर आवंटन किया जा सकेगा यद्यपि ऐसी स्थिति में संबंधित आरक्षित वर्ग का निर्धारित कोटा आगामी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा एवं परित्यक्ता वर्ग के आवेदनों को चयन उपरांत निर्धारित प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट मान्य की जाएगी परन्तु किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदक को रेलवे पार्लर आवंटन की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा दूध, घी एवं दुग्ध उत्पादों पर निर्धारित मार्जिन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
5. आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि यदि दुग्ध संघ द्वारा (उदाहरण स्वरूप) 25 रेलवे पार्लरों हेतु एजेंट चयन किया जाना है तो सभी 25 तक क्रमानुसार सूची बनाई जाएगी। सूची अनुसार चयन प्रक्रिया बढ़ते क्रम में पहले स्थान से अंतिम स्थान तक के लिए संपादित की जाएगी।
6. इस प्रक्रिया में निर्धारित सूची के क्रम अनुसार प्रत्येक रेलवे पार्लर के एजेन्ट के चयन हेतु प्राप्त सभी वर्गों के पात्र आवेदनों को सम्मिलित कर तथा एजेन्ट का चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा।
7. लाटरी द्वारा इस प्रकार चयन प्रक्रिया में यदि किसी वर्ग के आवेदकों का आरक्षण अनुसार उपलब्ध संख्या में चयन नहीं हो पाता है तो सूची के उतनी संख्या के अंतिम क्रम के रेलवे पार्लर को उस वर्ग के आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। यदि एक ही वर्ग के लिये आरक्षण नीति अनुसार उपलब्ध रेलवे पार्लर संख्या से अधिक की संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त होते है तो चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा।
8. इस प्रकार जिस भी वर्ग के आवेदक का चयन होता जाएगा उस वर्ग विशेष हेतु नियमानुसार आरक्षित पार्लरों की संख्या आगामी चयन हेतु उपलब्ध कुल रेलवे पार्लर की संख्या में से कम होती जाएगी।
9. यदि एक, दो या बहुत कम संख्या में रेलवे पार्लर के आवंटन हेतु प्रक्रिया की जाती है तो पूर्व में आवंटित रेलवे पार्लर की वर्गवार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ग विशेष हेतु उपलब्धता निर्धारित की जाएगी।
10. प्रत्येक वर्ग हेतु कुल आरक्षण अनुसार पार्लर/बूथ में से उसी वर्ग की महिला एवं पुरूषों हेतु क्रमशः 30 एवं 70 प्रतिशत पार्लर/बूथ आरक्षित होंगे। प्रत्येक लिंग (महिला या पुरूष) हेतु कुल आरक्षित पार्लरों में से 25 प्रतिशत उसी वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को तथा 75 प्रतिशत उसी वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले आवेदकों आरक्षित होंगे। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है।

# अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन (जिन्हे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/कुँ ................. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....................आयु....................वर्ष निवास...........................(जिन्हे आगे द्वितीय नाम से सम्बोंधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन निष्पादित किया गया है :—

1.अ. यह की प्रथम पक्ष द्वारा साँची दुध घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधित व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर **नीमच प्लेट फार्म क्र. 02** पर स्थित साँची पार्लर से दुध एवं दूग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया जाता है ।

ब. यह कि यह नियुक्ति पुर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सुचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। व्दितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पुर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है । तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने छोडने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सुचित करेगा , किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।

स. यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथि **........................**से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष................ की दिनांक 31.03................ तक की अवधि के लिये प्रभावशाली माना जायेगा। अर्थात इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि से वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च .................... तक होगी।
उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रेल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पुर्व निष्पादित करना होगा, अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

द. यह कि पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर देगा।

इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में साँची पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकार को देना होगा। ऐसा न करने पर पक्ष को अधिकार होगा कि वह साँची पार्लर का कब्जा कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष में को आपत्ती करने का अधिकार न हो।

ई. यह कि यदि दोनो पक्षो में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आरबीट्रेशन हेतु अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ अथवा उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनो पक्षो को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आरबीट्रेशन की कार्यवाही आरबीट्रेशन एंड कांसीलिवेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संपादित होगी।

ड. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षो के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकारी सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

उ. समस्त विवादों के निपटारों के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन ही होगा।

2.अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त एम.आर. नम्बर................दिनांक .................. रू...................../– बतौर प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करा दिये गये हैं, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा

ब. यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

स. यह कि अमानत राशि में साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

उ. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियो की रू. 25000/– प्रत्येक की जमानत राशि देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामे के जमानतदारों पर बंधनकारक होंगे।

इ. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्युरिटी वापसी के आवेदन करने पर उसे दुग्ध संघ से बकाया लेन देन के समायोजन एवं रेल्वे मण्डल से संबंधित शाखाओं से नोड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही स्वीकृति वापस की जावेंगी (प्रथम 6 माह पॉर्लर संचालित करने के पश्चात ही सिक्युरिटी वापस की जाएगी।)

ई. द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैद्यानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशाली है तथा भविष्य में प्रभावशाली होगें। अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होगें।

3.अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित पॉर्लर को 24 घंटे या रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में खुला रखना होगा।

ब. यह की द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही साँची पार्लर खोलना होगा।

स. उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो व्दितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

4.अ. यह कि मिल्क साँची पार्लर प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है, जो कि रेल्वे की भूमि पर निर्मित हैं। द्वितीय पक्ष को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साँची पॉर्लर या भूमि के हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ब. यह कि रेल्वे पॉर्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।

स. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप–तोल विभाग ,नगर–निगम, रेल्वे, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

द. यह की पार्लर में फ्रिज/डिप–फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।

इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थो के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर पर विक्रय नही किया सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समांतर हो या उसके प्रतिबंधित हो। ऐसा करते हुए पाये जाने पर पॉर्लर आवंटन तत्काल बिना किसी सूचना के निरस्त किया जा सकेंगे।

ई. यह कि पार्लर पर हाने वाले व्यय जैसे रेल्वे लायसेंस फीस, भूमि किराया, विद्युत ,पानी एवं अन्य व्यय एवं रख–रखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा एवं निर्धारित

समय में रेल मण्डल कार्यालय अथवा दुग्ध संघ के निर्देशानुसार दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

उ. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नही करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देगें एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गंरहित रखेंगे।

5.अ. प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक को नगद भुगतान या उसके द्वारा निर्धारित बैंक में द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।

ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी वह किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा इससे अधिक दर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुंरत समाप्त की जा सकेगी।

द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि का पूर्ण रूपये ................. दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी गंभीर धोखाधडी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानून कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

इ. पार्लर एजेंट द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड,पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नही दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थति में नकद राशि जमा करना अति–आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावें।

6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील,गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा मे ही माल प्राप्त करेंगें एवं सतर्कता से वितरण करेगें । प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि रेल्वे, नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल कि मांग की जाने पर सील लगी ईकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेगें इस संबंध में तुरन्त प्रथम पक्ष को सूचित करेगें यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई ईकाई या खुला पदार्थ दिया हैं तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम की कोई जवाबदारी नही रहेगी।

8. यह की पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान,फर्नीचर, एवं फिक्सचर्स उपलब्ध कराऐ है, एवं भविष्य में उपलब्ध कराऐ जायेगें। एवं क्रेन ,क्रेटस बाटल प्रदाय किये जायेगें।किसी भी कारण उसकी टूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मुल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।

9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दुध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बाटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगी। एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगें।

11. यह कि प्रथम द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय समय पर बनाए जायेगें द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर दिये पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी रहेगा।

13. यह कि इस अनुबंध की शर्ते व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा लक्ष्यो को प्राप्त नही कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटित निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा । कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेंटशिप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

15. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (प्रथम पक्ष) द्वारा द्वितीय पक्षकार के नाम से आवंटित साँची पार्लर बूथ में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दुग्ध पदार्थ के उत्पादनकर्ता के मालका विक्रय नही किया जावेगा और ना ही बीडी, गुटका ,पान तंबाकु मदिरा आदि अथवा अन्य काई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जायेगा। इस का उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर आवंटित कि गई उक्त साँची पार्लर को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।

16. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसो पर ही लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु.......................... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

17. आवेदन की प्रक्रिया, समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर एजेन्ट पर बंधनकारी होंगे।

18. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।

19. पॉर्लर/बूथ आवंटन उपरांत पॉर्लर एजेन्ट की मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य का आगे जारी रखने एव समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एजेन्ट को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है तो एजेन्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. अनुबंधित साँची मिल्क पॉर्लर/बूथ एजेन्ट की मृत्यू होने पर आश्रित एक सदस्य को वही पॉर्लर/बूथ संचालन हेतु नवीन नीति –2021 के तहत् आवंटित किया जा सकेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो को उभय पक्षों में पढकर समझ ली है एवं पूर्ण होशो हवास में बिना किसी दवाब के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई है।

दिनांक.....................

गवाहः—

1.हस्ताक्षर :
नाम.......................
पता.......................

हस्ताक्षर
1. प्रथम पक्षकार
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,**
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

2.हस्ताक्षर :
नाम......................
पता.......................

हस्ताक्षर
2. द्वितीय पक्षकार

# जमानतदार

## (रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं जमानतदार सर्व...............................आत्मजा श्री..................आयु....................में है कि कार्यालय ..........................प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष................पुत्र श्री................आयु.......... निवासी............. के बीच आज दिनांक..................को पालर्र /बूथ अनुबंध लिखा गया है इस के तहत यदि किसी अनुबंध को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रू. 25000 (रू पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मै, जमानतादार स्वयं प्रथम को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल सम्पति से वसूल करने के अधिकार रहेगें।

सादर जमानदार प्रथम पक्ष के पक्ष द्वारा लिखे पार्लर /बूथ अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैने आज दिनांक .................. को लिख दिया है।

| गवाह | जमानतदार : |
|---|---|
| हस्ताक्षर : | हस्ताक्षर : |
| नामः..................................................................... | नामः................................................................ |
| पताः..................................................................... | पताः................................................................ |
| मोबाईलः............................................................. | मोबाईलः........................................................ |

# <u>शपथ पत्र</u>

## <u>(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)</u>

मैं...................................... आत्मजा श्री.........................आयु निवास ............................................ शपथपूर्वक यह कथन करता/करती हूं कि :–

1. मैंने आज दिनांक ..........................को अनुबंध करार ........................................दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित .......................से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय करने हेतु किया गया है जो कि सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि शपथ पत्र मैं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हुँ, तथा यह शपथ–पत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.................................

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हुँ कि शपथ पत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य व सही है सत्यापन आज दिनांक ....................को ................ ....में किया गया।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.................................

शुद्धता का संकल्प

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी/(वर्तमान में कार्यरत) सुपर स्टॉकिस्ट /वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता से कोई संबंध नहीं होने का वचन पत्र का प्रारूप

**(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)**

नाम – ........................................................................................................

पिता – ........................................................................................................

आयु – ........................................................................................................

निवासी – ........................................................................................................

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जिला .................... क्षेत्र ............................पॉर्लर स्थान ................ ................ में साँची मिल्क पॉर्लर एजेन्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है, जिसमें मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी/ (वर्तमान में कार्यरत) सुपर स्टॉकिस्ट /वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

**इति दिनांक .......................... उज्जैन हस्ताक्षर ...................................**

**सत्यापन**

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त स्व–प्रमाणित पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

**इति दिनांक .................. उज्जैन हस्ताक्षर ..............................**

# एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी
वचन पत्र का प्रारूप

**(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)**

नाम – 
पिता – 
आयु – 
निवासी – 

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जिला .................... क्षेत्र .............................पॉर्लर स्थान ................ ................ में की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

**इति दिनांक .......................... उज्जैन हस्ताक्षर ................................**

**सत्यापन**

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त स्व–प्रमाणित पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

**इति दिनांक .................... उज्जैन हस्ताक्षर ..............................**